कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-2/ 685 /2019 भोपाल, दिनांक 21/6/2019

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल में पूर्णकालिक विधि सलाहकार की सेवाएं एक वर्ष के लिये संविदा मानदेय (सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से वर्तमान पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी, वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी।) में अनुबंध के आधार पर की जानी है। इस हेतु सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या समकक्ष न्यायिक अधिकारी के पद पर या राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर/अपर कलेक्टर (विधि स्नातक) जिनकी आयु दिनांक 01.01.2019 को 65 वर्ष से अधिक न हो, से आवेदन निर्धारित तिथि 06.07.2019 अपरान्ह 3.00 बजे तक सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है।

विधि सलाहकार के संबध में मापदण्ड,शर्तें एवं, चयन प्रक्रिया एवं आवेदन पत्र/घोषणा पत्र मण्डल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर देखी जा सकती है।

S. Dahima
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल में विधि सलाहकार संविदा नियुक्ति हेतु मापदण्ड

मण्डल के विभिन्न न्यायलयीन प्रकरणों के संबंध में समुचित विधिक कार्यवाही हेतु पुनः मण्डल के कार्यालय में विधि कार्य के लिये विधि सलाहकार की व्यवस्था की जाना है इसके लिये पूर्व वर्षो की भांति निर्देशानुसार सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारी के साथ अपर कलेक्टर को सम्मिलित करते हुए पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के तहत विधि सलाहकार की संविदा नियुक्ति सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उच्च न्यायिक सेवा) की संविदा नियुक्ति निर्धारित मापदण्डों पर की जाना है जो निम्नानुसार है :-

मापदण्ड :-

(1) मण्डल में विधि सलाहकार के पद पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदन कर सकेंगे।

(2) संविदा नियुक्ति के लिए पात्रता हेतु आवेदक को निम्नानुसार मापदण्ड पूर्ण करना होंगे :-

(क) आवेदक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या समकक्ष न्यायिक अधिकारी के पद पर अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा से संयुक्त कलेक्टर/अपर कलेक्टर (विधि स्नातक) के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ख) स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में हो (नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।)

((ग) सम्पूर्ण सेवाकाल में किसी भी दीर्घ शास्ति से दण्डित नहीं किया गया है।)

(घ) आयु दिनांक 01/01/2019 को 65 वर्ष से अधिक न हो।

संविदा नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार होगी :-

(1) संविदा वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से वर्तमान पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी, वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी। इस संविदा वेतन पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

(2) संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह का सूचना पत्र या एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(3) अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।

(4) यात्रा भत्ते की पात्रता उसकी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।

(5) संविदा पर नियुक्ति व्यक्तियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे।

(6) संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 45 दिन तक प्रभावशील होगा इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा, विशेष एवं अपरिहार्य कारण होने पर सचिव उक्त अवधि में छूट दे सकेंगे।

(7) संविदा अवधि में मण्डल कार्य संपादन हेतु इंडिका या समकक्ष वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें पात्रता अनुसार निर्धारित 60 लीटर डीजल/पेट्रोल देय होगा।

(8) संविदा सेवा में नियुक्ति के लिए अवधि एक वर्ष होगी, जिसमें मण्डल अध्यक्ष एक वर्ष की वृद्धि अधिकतम दो बार प्रदान कर सकेंगे।

(9) आवेदन के साथ उम्मीदवार को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसे सम्पूर्ण सेवाकाल में किसी भी दीर्घ अथवा लघु शस्ति से दण्डित नहीं किया गया है।

(10) विधि सलाहकार को पूर्णकालिक तौर पर मण्डल कार्यालय में कार्यालयीन समय (10.30 से 05.30) पर उपस्थित रहकर कार्य दायित्व निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

(11) विशेष परिस्थितियों/जटिल विषयों के संबंध में मण्डल के पक्ष में वरिष्ठ अभिभाषकों से संपर्क, विचारविमर्श आदि कार्य किया जाना होगा।

(12) मण्डल के विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में मण्डल की ओर से प्रतिरक्षण बाबत् समस्त कार्यवाहियां समय पर कराया जाना एवं इस हेतु

सचिव के अनुमोदन समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने की जिम्मेदारी विधि सलाहकार की होगी।

(13) चयन के उपरांत न्यूनतम एक वर्ष के लिये कार्य अनुबंध किया जाना अनिवार्य होगा।

चयन का अधिकार बोर्ड में सुरक्षित रहेगा।

S. Dahim

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपा ल

आवेदन प्रारूप

1	आवेदक का नाम	:–..
2	पिता का नाम	:–..
3	जन्मतिथि	:–..
4	शैक्षणिक योग्यताए	:–..
		:–रा.प्र.से.(संयुक्त कलेक्टर/अपर कलेक्टर स्तर के सेवानिवृत्त होने की दशा में विधि स्नातक की अंकसूची (डिग्री की स्वप्रमाणित छाया प्रति) सलंग्न करें।
6	अनुभव	:–..
7	सेवानिवृत्ति के समय पद	:–..
8	पी.पी.ओ. कमांक	:–..(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
9	पता	:–..
10	मोबाइल/दूरभाष क.	:–..
11	ई मेल	:–..

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मै................................ पिता श्री .... प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पूर्णतः सत्य है। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। मै यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे संपूर्ण सेवाकाल में किसी भी दीर्घ अथवा लघुशस्ति से दंडित नहीं किया गया है। मैने मण्डल की सेवा शर्तो, कार्य स्वरूप, चयन प्रकिया को देखकर समझ लिया है।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर